अध्याय-III

भावी सड़क विकास

अगस्त, 2004 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित अवसंरचना समिति ने भावी राजमार्ग विकास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है जो निम्नवत् है -

3.1.2 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) चरण-I और चरण-II के अधीन स्वर्णिम चतुर्भुज तथा महामार्ग की शेष लंबाई को 43,250 करोड़ रु. की लागत पर पूरा करना ।

3.1.3 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III में 55,000 करोड़ रु. की लागत पर 10,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके चार लेन का बनाना ।

3.1.4 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण- IV के अधीन 24,000 करोड़ रु. की लागत पर 20,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डरों के साथ चौड़ा करके दो लेन का बनाना ।

3.1.5 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण- V के अधीन 22,750 करोड़ रु. की लागत पर राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित खंडों और स्वर्णिम चतुर्भुज के 6500 कि.मी. को चौड़ा करके 6 लेन का बनाना ।

3.1.6 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत 15,000 करोड़ रु. की लागत पर 1000 कि.मी. एक्सप्रेस मार्गों का विकास ।

3.1.7 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण- VII के अधीन 15000 करोड़ रु. की लागत पर चयनित खंडों पर रिंग रोडों, फ्लाईओवरों तथा बाइपासों का निर्माण ।

3.1.8 सरकार ने विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-क के अधीन 4618 करोड़ रु0 की लागत पर राष्ट्रीय राजमार्गों की 1110 कि.मी. की लंबाई सहित 1310 कि.मी. सड़कों के विकास और सुदृढ़ीकरण को अनुमोदित किया है । चरण-ख के अंतर्गत 5122 कि.मी. के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य को भी अनुमोदित किया गया है । इसके अलावा, 1207 कि.मी. के लिए भी यह कार्य विचाराधीन है । 85 में से ऐसे 36 जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाएगा, जो राष्ट्रीय राजमार्गों से नहीं जुडें हैं ।

3.1.9 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत भविष्य में परियोजनाएं सामान्यतः बी ओ टी आधार पर प्रदान की जाएंगी और विशेष मामले में ही परियोजनाएं सामान्य ठेके पर दी जाएंगी ।

रतनपुर–हिम्मतनगर खंड

2005 के दौरान 1568 कि.मी. की लंबाई को कवर करते हुए सौंपी गई 30 बी ओ टी परियोजनाओं (पथकर आधारित) की उपयुक्त मानीटररिंग की जाएगी ।

3.1.10 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है । सचिवों की समिति के विचार-विमर्श से भूमि अधिग्रहण अधिसूचना प्रक्रियाओं को सुगम बनाया गया है । सात अंतरमंत्रालयी तथा राज्य मामलों का समाधान किया गया है और रेल ओवर ब्रिज अनुमतियां जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकें, इसके लिए एक रेलवे अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है । विधि मंत्रालय को भेजे बिना भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग को प्राधिकृत करने के लिए कार्य आबंटन नियमावली में संशोधन किया गया है। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तीव्रता आई है और इसमें आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी ।

3.1.11 विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 120 मिलियन अमेरीकी डालर तथा उससे अधिक के निवेश स्तर हेतु 100 कि.मी. से अधिक की लंबाई के लिए परियोजना आकार का समुचित रूप से कार्यक्रम बनाया गया है ।

3.1.12 सचिवों की समिति ने एक समर्पित सुरक्षा निधि की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों को आबंटित उपकर राजस्व का एक प्रतिशत जमा किया जाएगा ।

रा. रा. में प्रगति पुणे–कटरा खंड के दीवार का रखरखाव व पुर्ननिर्माण